हकीम

बनाम

राज्य जरिए पुलिस उपअधिक्षक

आपराधिक अपील संख्या 567/2012

06 अगस्त, 2014

फकीर मो. इब्राहिम कलीफुल्ला व शिवकीर्ति सिंह (न्यायाधिपति)

दण्ड सहिंता 1860- धारा 302, 307, 307/149, 302/109, 449, 324- दोषसिद्धि व दण्ड- अभियोजन पक्ष का मामला था कि सभी अभियुक्तगण ने हथियारों से लेस होकर उकसाने पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 के घर में प्रवेश किया- अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी संख्या 1, उसके पारिवारिक सदस्यों व दोस्तों पर हमला कर उन्हें चोटें कारित की- तीन सहअभियुक्तों ने अभियोजन साक्षी संख्या 1 की पत्नी को पकड़ा व अभियुक्त ए-1 ने उसके गले को काट दिया, जिससे उस महिला की मृत्यु हो गयी- आसपास इकट्ठे हुए लोगो ने अभियुक्तों को पकड़कर उनके साथ मारपीट की व उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तत्पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया- साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 449 अभियुक्त ए-1 को धारा 302, 307, अभियुक्त ए 2-ए 4 को 307/149, 302/109 व अभियुक्त संख्या ए 3-ए 4 को 324 भारतीय दण्ड सहिंता में दोषसिद्ध कर उसी अनुरूप दण्डित किया- अपील यह निर्धारित

किया कि पोस्टमार्टमकर्ता डॉक्टर ने अपने प्रमाण-पत्र में मृतक के शरीर पर एकाधिक चाकू की चोटे होना पुष्ट किया- घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों को भी वृहद चोटे आई हैं। अतः अपीलार्थियों द्वारा अपराध करने में एकाधिक हथियारों का प्रयोग करने बाबत् पत्रावली पर आयी जबरदस्त साक्ष्य से अभियोजन के मामले का समर्थन होता है - यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकरण में धारा 109 और 149 प्रयोज्य किए जाने का कोई गुजाईश नहीं है और केवल धारा 304 भाग 2 भारतीय दण्ड संहिता प्रयोज्य की जा सकती है। इसके अलावा मृतक की मृत्यु कारित करने व अभियोजन साक्षियों को चोट कारित करने में अभियुक्तों द्वारा हथियारों का अत्यधिक उपयोग किए जाने के तथ्य को देखते हुए इस प्रकरण में दण्ड में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। घटना के दिन अभियुक्त संख्या 1 की उम्र 17 साल और 9 माह ही थी। अभियुक्त संख्या ए1 ने किशोर न्याय अधिनियम में वर्णित निरोध की अधिकतम अवधि से अधिक निरोध भुगत लिया है, इसलिए वह अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का हकदार है व उसके द्वारा भोगी जा चुकी सजा पर्याप्त है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि एक पत्रिका में अभियोजन साक्ष्य संख्या 1 की जघन्य/घृणित/अधर्मी गतिविधियों बाबत् प्रकाशित रिपोर्ट ने अभियुक्त व अन्य तीन को उत्तेजित कर दिया, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने चाकूओं से लेस होकर अभियोजन साक्ष्य संख्या 1 के घर में प्रवेश होकर उसपर व उसके साथ रहने वाले पारिवारिक

सदस्यों व दोस्तों पर हमला कर दिया, जिसकी परिणति अभियोजन साक्ष्य संख्या 1 की पत्नी की मृत्यु व अभियोजन साक्ष्य संख्या 1,2,3 व 4 को चोटे आने में हुई। तीन अभियुक्तों ने मृतक 'एस' को पकड़ा व अभियुक्त संख्या ए1 ने उसके गले को काट दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तुरंत मृत्यु हो गयी। अभियोजन साक्षी संख्या 1 के मकान में आसपास रहने वाले व्यक्ति इक्ट्ठे हुए और उन्होंने अभियुक्तों के साथ मारपीट की व उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 (आहत गवाहान), अभियोजन साक्षी संख्या 5 (स्वतंत्र गवाह), जो उस दिन अभियोजन साक्षी संख्या 1 के मकान की मरम्मत हेतु नियोजित किया गया था, अभियोजन साक्षी संख्या 10 (पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक साक्षी) व अभियोजन साक्षी संख्या 8 (आहतान का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाला चिकित्सक) परिक्षित हुए। अभियोजन साक्षी संख्या 10 ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की व अभियोजन साक्षी संख्या 8 ने अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 के चोट प्रतिवेदन जारी किए। अभियोजन साक्षी संख्या 32 ने अभियुक्तों का परीक्षण किया। विधिविज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी 7 आईटम पर खून की उपस्थिति की पुष्टि करती है। अभियोजन साक्षी संख्या 10 ने कथन किया कि चार चाकूओं द्वारा मृतक व आहत व्यक्तियों को चोटे पहुंचाई गयी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं 302, 307, 307/149, 302/102, 449 और 324 आई.पी.सी. में

दोषसिद्ध कर सभी अभियुक्तगण को धारा 307 में पांच वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त संख्या 1 को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आजीवन कारावास, अभियुक्त संख्या ए 2-4 को धारा 307/149 आई.पी.सी. में तीन वर्ष के कठोर कारावास व धारा 302/109 में भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास तथा अभियुक्त संख्या ए 3 व ए 4 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 में छः माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दोषसिद्धि व सजा की पुष्टि की गयी, इसलिए यह अपील प्रस्तुत है।

अभियुक्त संख्या ए 1 द्वारा प्रस्तुत अपील निस्तारित की गई व अभियुक्त संख्या ए 2, ए 3, ए 4 द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील अस्वीकार की गयी।

अभिनिर्धारित

1.1 दण्ड को घटाने की कोई गुंजाईश नहीं है। एक चाकू के संदर्भ में दिए गए तर्कों का प्रश्न है, यह एक ऐसा मामला है, जिसमें अभियुक्त मौके पर ही पकड़े गए हैं व उनसे पकड़े जाने के समय ही हथियारों की बरामदगी हुई है। इस तथ्य को विवादित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साथ-साथ अभियुक्तों का भी अभियोजन साक्षी संख्या 32 चिकित्सक द्वारा परीक्षण किया गया था। इन अभियुक्तों के शरीर पर आई चोटें लेखबद्ध की गयी थी व अभियोजन साक्षी संख्या 32 के अनुसार

उस समय अभियुक्तगण ने उसे यह बताया था कि उनके साथ लोगों ने मारपीट की थी, यह तथ्य अभियोजन की कहानी के अनुरूप है। (पैरा 16) (990-डी-जी)

1.2 इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि जब्त चाकू विचारण न्यायालय के समक्ष रखे गए थे। इसके अलावा अभियोजन साक्ष्य संख्या 10 पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक ने अपने प्रमाण-पत्र में इस तथ्य की पुष्टि की है कि मृतका के शरीर पर एक से अधिक चाकू की चोटें पाई गयी थी, जबकि एक चोट उसके गर्दन पर थी, जो अभियुक्त संख्या 1 द्वारा कारित की गयी थी। शरीर के मार्मिक अंगों व अन्य अंगों पर करीब 13 चोटे थीं व ये सभी चोटें दो सेंटीमीटर □ एक सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर □ 7 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के कटे हुए घाव थे। ऐसी स्थितियों में अपीलार्थी संख्या 1 का यह तर्क व्यर्थ है कि इतनी चोटे कारित करने के लिए केवल एक ही चाकू प्रयुक्त किया गया था। (पैरा 17) (990-जी-एच.; 991-ए-बी)

1.3 इसके अलावा अभियोजन साक्षी संख्या 8 चिकित्सक, जिसने अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 को परीक्षित किया व प्रमाण-पत्र प्रदर्श-पी6-9 जारी किए, से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 को एक गंभीर चोट, अभियोजन साक्षी संख्या 2 को नीलगू के अलावा एक कटी हुई चोट, अभियोजन साक्षी संख्या 3 को दो सामान्य चोटे व अभियोजन साक्षी संख्या 4 को छः कटी हुई चोटे आई थी, जिसमें से चोट संख्या एक से

तीन साधारण व चोट संख्या चार से छः गंभीर थी। अभियोजन साक्षी संख्या 4 को आयी चोटों में से एक चोट के परिणामस्वरूप उसके दाएं हाथ की दायीं अंगुली पृथक हो गयी थी। जब इतनी व्यापक/विस्तृत चोटे आहत/ प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को आयी हो, वहां अपीलार्थीगण का यह तर्क न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल एक चाकू का उपयोग किया गया था। विचारण न्यायालय व साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तर्कों को सही ही अस्वीकार किया है क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा किए गए अपराध में एकाधिक हथियारों का उपयोग किए जाने बाबत् अभियोजनपक्ष के मामले का समर्थन करने हेतु जबरदस्त/अपरिहार्य साक्ष्य उपलब्ध थी।(पैरा 18) (991-बी-ई)

1.4 जब अभियुक्त का उपरोक्त तर्क अस्वीकार कर दिया गया तो दूसरा तर्क यथा 'कि प्रकरण में धारा 109 और 149 आई.पी.सी. प्रयोज्य किए जाने की कोई गुंजाईश नहीं थी' अपने आप गिर जाता है, यदि यह परिणाम है तो विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निष्कर्ष में कमी निकालने की कोई गुंजाईश नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल धारा 304 भाग 2 भारतीय दण्ड संहिता को प्रयोज्य करते हुए कमतर दण्ड दिया जाना चाहिए था। अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 को चोटे कारित किए जाते समय व मृतक की मृत्यु कारित किए जाते समय अभियुक्तगण द्वारा हथियारों का व्यापार प्रयोग किए जाने के तथ्य को देखते हुए इस प्रकरण में अभियुक्तगण को दण्ड के मामले में कोई रियायत देने

की गुंजाईश नहीं है। परिणामस्वरूप उपरोक्त तर्क अस्वीकृत किए गए। (पैरा 19) (991-एफ-एच.; 992-ए)

1.5 जब एक बार यह स्पष्ट कर दिया जाए कि आपराधिक अपील संख्या 1410/2011 में अपीलार्थी अभियुक्त संख्या ए1 घटना के समय 17 साल और 9 माह का था तो अजय कुमार के प्रकरण में दिया गया निर्णय लागू होगा। इस प्रकरण में प्रतिपादित विधिक स्थिति को देखते हुए इस निर्णय में दिए गए परिणाम अपीलार्थी के मामले में लागू होंगे, जिसने किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकतम अवधि के निरोध से अधिक निरोध भुगत लिया है। उपरोक्त अपीलार्थी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1.07.2011 से जमानत दी गयी थी, इसलिए इस अपील के माध्यम से आक्षेपित निर्णय में की गयी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए इसे किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाता है व इसके द्वारा भुगती गयी सजा इस दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है। अतः इसे इस प्रकरण में ओर अधिक निरूद्ध नहीं रखा जाए, जब तक कि इसकी निरूद्धि किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हो इस प्रकरण में (पैरा 21, 22) (992-एफ.; 993-एफ.-एच.; 994-ए)निर्भर रहा गया

अजय कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010(15) एस.सी.सी. 830) उद्धरित किए गए

अंकुश शिवाजी गायकवाड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013(6) एस.सी.सी. 770),

रॉय फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य व अन्य (2012(1) एस.सी.आर. 623)

जितेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013 (11) एस.सी.सी. 193)

उद्धरित निर्णय

2013 (6) एस.सी.सी. 770	उद्धरित किया गया	पैरा 13
2012 (1) एस.सी.आर. 477	उद्धरित किया गया	पैरा 13
2009 (7) एस.सी.आर. 623	उद्धरित किया गया	पैरा 14
2013 (11) एस.सी.सी. 193	उद्धरित किया गया	पैरा 14
2010 (15) एस.सी.सी. 83	निर्भर रहा गया	पैरा 21

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 567/2012

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 359/2005 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23.07.2008 के विरूद्ध

सपठित

आपराधिक अपील संख्या 1410/2011 व 568/2012

के.टी.एस. तुलसी, रतनाकर दास, जी. शिवाबालामुरूगन, अनीष मोहम्मद, संदीप कुमार, राजकमल, एल.के. पांडे अपीलार्थी की ओर से

सुब्रामोनियम प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता, एम. योगेश कन्ना, ए. संताकुमारन, रणजीत धलाल विपक्षी की ओर से

इस न्यायालय का निर्णय फकीर मो. इब्राहिम कलीफुल्ला द्वारा दिया गया

1. उपरोक्त अपीलें अभियुक्त संख्या 1-4 (जिन्हें इस आदेश में ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 के रूप में उल्लेखित किया जाएगा।) द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती प्रदान की है। खण्डपीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 359/2005 में अपने निर्णय दिनांक 23.07.2008 से विद्वान सैशन न्यायाधीश द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 240/2003 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2005 में की गयी दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि की थी।

2. अनावश्यक विवरण से बचते हुए अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 अलीम जॉर्ज नगूर कस्बे में कलीबा साहिब गली का निवासी था। वह अपनी तीन पत्नियों फातिमा, सईदा (मृतका), समीमा व इनकी माताओं, अपनी पुत्री जैनी, पुत्र जफर हुसैन व मृतका पत्नी सईदा की बहन रिहाना के साथ रहता था। इसका एक दोस्त गुडनामशा अभियोजन साक्षी संख्या 2 व इसका भतीजा नियाज अहम्मद

अभियोजन साक्षी संख्या 3 भी इसके साथ रहते थे। अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपना मकान नगूर में स्थापित करने से पूर्व कोठानलूर में एक मस्जिद में भी ईमाम के रूप में कार्य किया था। उसने मेलापलायम, अरेबिक कॉलेज में प्राचार्य के रूप मे काम किया था। उसने उदुमलाईपेट के मदरसे में अध्यापक के रूप में कार्य करने के अलावा, मलेशिया की मस्जिद में भी ईमाम के रूप में कार्य किया था। उसका गुरू नगूर में सैयदअली साहिब था।

3. अभियोजन साक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कुछ निश्चित अभियोग इस प्रभाव के थे कि वह जघन्य/घृणित/अधर्मी गतिविधियों यथा महिलाओं को नशा करवाकर उनका शोषण करना व बाद में उनका भयादोहन करना, में लिप्त था। अभियोजन साक्षी संख्या 23 के दृष्टांत पर एक पत्रिका येवुकन्नई में उपरोक्त घृणित गतिविधियों की एक रिपोर्ट प्रकट हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार उपरोक्त रिपोर्ट से अभियुक्त व तीन अन्य व्यक्ति उत्तेजित हो गए, जिसमें से दो का अभियोजन विचारण न्यायालय में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उपरोक्त अपराध में लिप्तता परिणामित हुई थी।

4. यह कहा गया है कि जब अभियोजन साक्षी संख्या 1 अन्य निवासियों के साथ दिनांक 26.10.1996 को शाम 4 बजे अपने घर पर था तो उनके घर का दरवाजा धक्का देकर अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा हाथ में

चाकू लेकर खोला गया, वे सभी घर में घुसे व उन्होंने अभियोजन साक्षी संख्या 1 को यह कहा कि जॉर्ज कौन है। इनमें से एक अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी संख्या 1 की गर्दन पर चाकू रख दिया, जबकि एक अन्य अभियुक्त ने मृतका सईदा को बाल पकडकर खींचा व एक अन्य व्यक्ति पी.ड.1 अभियोजन साक्षी संख्या 1 पर लपका, जबकि एक अन्य ने उसे मारने की धमकी दी। जब अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी संख्या 1 पर चोटें कारित करने का प्रयास किया, तो उसने आपने आप को बचाया जिसके परिणामस्वरूप उसके अग्र मस्तिष्क पर चोटे आई। इसी दौरान सईदा ने खतरे की चेतावनी दी। अभियुक्तगण ने उसे हाथ और पैर से पकड लिया और उस पर एकाधिक चोटें कारित की, जब मृतका की माता अभियोजन साक्षी संख्या 4 उसे बचाने आयी, उसे चाकू की चोटें कारित की गयी, जिससे उसके दाएं हाथ की दाहिनी अंगूली पृथक हो गयी। तीन अभियुक्तों ने सईदा को पकड़ा व अभियुक्त संख्या 1 को उसका गला काट दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। जब अभियोजन साक्षी संख्या 2 और 3 ने बीच-बचाव का प्रयास किया, तो उन्हें भी चोटें आयी।

5. इस प्रकार हुए घटनाक्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 1 के निवास स्थान में व आस-पास रहने वाले व्यक्ति इकट्ठे हुए और उन्होंने सभी चारों अभियुक्तों को पकड लिया। मृतका व आहतान को अस्पताल ले जाया गया, जहां अभियोजन साक्षी संख्या 1 का कथन प्रदर्श-पी5 लेखबद्ध किया गया, उसी के आधार पर नगूर पुलिस स्टेशन में अपराध सूचना 464/1996 शाम

6ः30 बजे धारा 147, 148, 452, 324, 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गयी व स्पष्ट रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट नागापट्टीनम को प्रेषित की गयी, जो रात्री 12ः10 पर उन्हें परिदत्त हो गयी।

6. अभियुक्तगण, जिन्हें पड़ोसियों द्वारा पकड लिया गया था, के साथ जनता ने मारपीट की, जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपरोक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण को दो अन्य अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार किया गया व अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 (मृतका से संबंधित आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) के अलावा स्वतंत्र गवाह अभियोजन साक्षी संख्या 5, जिसे उस दिन अभियोजन साक्षी संख्या 1 के मकान की छत की टाईल्स परिवर्तित करवाने हेतु नियोजित किया गया था, को परीक्षित करवाया गया। अभियोजन साक्षी संख्या 10 पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं, प्रदर्श-पी15 पोस्टमार्टम प्रमाण-पत्र है। अभियोजन साक्षी संख्या 8 ने अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 (आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) का चिकित्सकीय परीक्षण किया व चोट प्रतिवेदन प्रदर्श-पी6, 7, 8 और 9 जारी किए। एम.ओ. 2-5 चाकू हैं। अभियुक्त/अपीलार्थीगण को घटना के दिन दिनांक 26.10.1996 को शाम 7:00 बजे गिरफ्तार किया गया

7. अभियोजन साक्षी संख्या 1 को एक गंभीर चोट आई, जो बाई अग्र भुजा पर कटी हुई चोट थी। अभियोजन साक्षी संख्या 2 के एक कटी हुई

चोट नीलगू के पीछे थी। अभियोजन साक्षी संख्या 3 को दो साधारण चोटें व अभियोजन साक्षी संख्या 4 को छः कटी हुई चोटे आई थी, जिसमें से चोट संख्या 1-3 साधारण व चोट संख्या 4-6 गंभीर थी। अभियोजन साक्षी संख्या 32 डॉक्टर ने दिनांक 27.10.1996 को शाम 4:35 पी.एम. पर अभियुक्तों का परीक्षण किया था। प्रदर्श-पी40, 41, 42 व 39 अभियुक्त संख्या ए1-ए4 को आई चोटों के संदर्भ में अभियोजन साक्षी संख्या 32 द्वारा जारी प्रमाण-पत्र है। अभियोजन साक्षी संख्या 32 ने यह बताया कि उसे अभियुक्तगण ने यह बताया था कि जनता ने उनके साथ मारपीट की है। प्रदर्श-पी27 विधिविज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार सात आईटम पर रक्त उपस्थित था। प्रदर्श-पी30 से स्पष्ट है कि मृतका का रक्त समूह 'ओ' था। यह भी स्पष्ट हुआ कि एक चाकू पर पाया गया रक्त विघटित था। अभियोजन साक्षी संख्या 10 ने अपनी साक्ष्य में यह बताया कि इस प्रकरण में अंकित किए गए चार चाकूओं से मृतका व अन्य आहतों को चोट पहुंचाई गयी थी।

8. विचारण न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने कुल 34 गवाह व दस्तावेज पी1-पी42, एम.ओ. संख्या 1-11 प्रस्तुत किए थे। एम.ओ. संख्या 2-5 अपराध में प्रयुक्त चाकू थे। एम.ओ. संख्या 7 से 11 मृतका द्वारा घटना के समय पहने गए कपड़े थे। एम.ओ. संख्या 6 रक्त युक्त सीमेंट फर्श थी, जबकि एम.ओ. संख्या 7 मानव रक्त के बिना सीमेंट फर्श थी। विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त संख्या ए5 व ए6 पर

लगाए गए आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है, इसलिए इन्हें दोषमुक्त किया गया, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त संख्या ए1-ए4 पर लगाया गया धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप, अभियुक्त संख्या ए3 पर लगाया धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप व अभियुक्त संख्या ए4 पर लगाया गया धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप भी साबित नहीं है, इन्हें उपरोक्तानुसार उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया। यद्यपि यह पाया गया कि चारों अपीलाथीगण/अभियुक्त पर धारा 449 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त ए1 पर धारा 302, 307 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त संख्या ए3 और ए4 पर धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित है। अपीलार्थीगण को धारा 449 आई.पी.सी. के आरोपो के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास, अभियुक्त संख्या ए1 को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों हेतु तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया, अभियुक्त संख्या ए2-ए4 को धारा 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी, अभियुक्त संख्या ए1 को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा व अभियुक्त संख्या ए2-ए4 को धारा 302 सपठित धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गयी। अभियुक्त संख्या ए4 को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के तहत छः माह के कठोर कारावास की सजा दी गयी।

9. अभियुक्तगण की अन्य प्रकरणों में जेल में बिताई गयी लम्बी अवधि व उनकी ओर से जुर्माना देने में असमर्थता जाहिर करने पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्तगण पर काई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया। मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने आक्षेपित निर्णय से विचारण न्यायालय के अभियुक्तगण की दोषसिद्धि व सजा संबंधी आदेश की पुष्टि की है, इसीलिए यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है।

10. हमने अपीलार्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता के.टी.एस तुलसी, रतनाकर दास व राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुब्रमोनियम प्रसाद को सुना। श्री तुलसी के तर्क मुख्यतः सजा के परिप्रेक्ष्य में है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण को घटनास्थल पर ही रंगे-हाथों पकडा गया था। हमें वरिष्ठ अधिवक्ता के उपरोक्त दृष्टिकोण में कुछ गलत नहीं लगा। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह बताया कि प्रकरण में चार चाकु एम.ओ. संख्या 2-5 प्रदर्शित करवाए गए है, परन्तु केवल एक चाकू ही वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेजा गया है, जिसमें खून पाया गया है, परन्तु पाया गया रक्त विघटित है। इस प्रकार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकरण में अपराध करने में केवल एक ही चाकू का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस तथ्य का धारा 109 व धारा 149 आई.पी.सी. के आरोप पर गंभीर प्रभाव है।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क रहा कि चाकू से सुसज्जित अभियुक्त संख्या ए1 व अन्य का आशय केवल उनकी जानकारी हेतु ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इन्हें अधिकतम धारा 304 भाग 2 भारतीय दण्ड संहिता के तहत ही दोषसिद्ध किया जा सकता है, ना कि उन्हें दोषसिद्ध किए गए अन्य अपराधों के लिए। इस तर्क को मजबूत करने के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह बताया कि प्रदर्श-पी15 से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा मृतका की गर्दन पर कारित की गयी चोट के अलावा उसके शरीर के मार्मिक अंग पर कोई चोट नहीं पाई गयी है। इस प्रकार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपने तर्क से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अन्य अभियुक्तों को अधिकतम अतिउत्साह व अतिअंजना की सम्भावना हेतु ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह माना जाना चाहिए कि अभियुक्तगण द्वारा अब तक भोगी गयी सजा पर्याप्त है।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अभियुक्तगण को घटना के दिन दिनांक 26.10.1996 को गिरफ्तार किया गया था, अभियुक्त संख्या ए1 और ए2 को दिनांक 05.06.1997 व अभियुक्त ए3 व ए4 को दिनांक 26.05.1997 को जमानत दी गयी थी। अभियुक्त संख्या ए1 व ए2 को पश्चातवर्ती स्तर पर कोयमबटूर बम विस्फोट प्रकरण में दिनांक 28.03.1998 को व अभियुक्त संख्या ए3 व ए4 को क्रमशः 24.10.1998 व 16.11.1998 को गिरफ्तार किया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी

तर्क है कि अभियुक्त ए1 को कोयमबटूर बम विस्फोट प्रकरण में सात साल के कारावास से दण्डित किया गया था, जिसे वह भुगत चुका है, अभियुक्त संख्या ए2 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था। जहां तक अभियुक्त संख्या ए3 का संबंध है इसे बम विस्फोट प्रकरण में दोषमुक्त कया गया था, जिसके विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की गयी थी। अभियुक्त संख्या ए4 को दस साल के कारावास से दण्डित किया गया था और वह सजा भुगत रहा है। इस प्रकार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्को में इस तथ्य को दोहराया कि जब अपीलार्थीगण का मृत्युकारित करने का आशय नहीं हो व धारा 109 और धारा 149 की अनुपस्थिति में अधिकतम यह कहा जा सकता हैं कि अभियुक्तगण का ज्ञान इस सीमा तक था कि मृतका की मृत्यु होने की सम्भावना है, इसलिए इस प्रकरण में धारा 304 भाग 2 भारतीय दण्ड संहिता प्रयोज्य की जाए।

13. रतनाकर दास विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कुछ अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने तर्क दिया कि अभियोजन की कहानी के अनुसार सात व्यक्ति अपराध की घटना के लिप्त थे, जिसमें से केवल चार व्यक्ति ही रंगे-हाथों पकड़े गए हैं। अभियुक्तगण द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त नहीं किए गए व इन्हें सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए नहीं भेजा गया है। इन परिस्थितियों में जब पी.ड.1 की मृत्यु कारित नहीं की गयी और मृतका की घटना में मृत्यु हो गयी, इसलिए मृतका की मृत्यु कारित करने में अभियुक्तगण का आशय नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि उच्च न्यायालय व सैशन न्यायाधीश द्वारा हत्या के लिए की गयी दोषसिद्धि की पुष्टि नहीं की जा सकती। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में अंकुश शिवाजी गायकवाड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013(6) एस.सी.सी. 770) व रॉय फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य व अन्य (2012(3) एस.सी.सी 221) का संदर्भ दिया।

14. आपराधिक अपील संख्या 1410/2011 के अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी ने प्रकट किया कि वह निर्विवादित रूप से घटना के दिन किशोर था। यह तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष भी दिया गया था, परन्तु उच्च न्यायालय ने उसे राहत देने से इंकार कर दिया। यद्यपि यह रिकॉर्ड पर लिया गया था कि घटना के दिन अपीलार्थी की आयु 17 साल और 9 माह थी, परन्तु वह किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्रावधानों व सुसंगत दिनांक को सुस्थापित विधि के तहत किशोर नहीं था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस ओर भी ध्यान दिलवाया कि पश्चातवर्ती स्तर पर हरिराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (2009(13) एस.सी.सी. 211), अजेय कुमार बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2010(15) एस.सी.सी. 83) व जीतेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013(11) एस.सी.सी. 193) में विकसित विधि को देखते हुए भले ही अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाए, परन्तु वह किशोर न्याय

अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप सजा के मामले में लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

15. राज्य की ओर से श्री सुब्रमोनियम प्रसाद विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने तर्क में ध्यान दिलवाया कि विधिविज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर घटना में एक ही चाकू प्रयुक्त किए जाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि घटना के वक्त जब अभियुक्तगण को पकड़ा गया था, चार चाकू दस्तावेज के जरिए बरामद किए गए थे, जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह भी बताया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) के अनुसार घटना के वक्त अभियुक्तगण द्वारा चारो चाकूओं का अंधाधुंध उपयोग किया गया था, जिसका समर्थन अभियोजन साक्षी संख्या 5 (स्वतंत्र साक्षी) की साक्ष्य व इसके अलावा इन गवाहान को आयी विभिन्न चोटों, जिसमें से कुछ गंभीर प्रकृति की थी, से होती है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस ओर भी ध्यान दिलवाया कि मृतका के सम्पूर्ण शरीर पर कुल 14 चोटें थी, इसलिए अपीलार्थीगण की ओर से दिया गया तर्क कि केवल एक चाकू का ही उपयोग किया गया, जिसके लिए अभियुक्त संख्या ए1 को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, व्यर्थ है। इस प्रकार विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का यह तर्क है कि धारा 302 सपठित धारा 109 व धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता को सही तरीके से प्रयोज्य किया गया था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि सभी अभियुक्तगण ने

नियोजित तरीके से मृत्यु कारित करने के आशय से व्यक्तिशः हथियारों से लेस होकर अभियोजन साक्षी संख्या 1 के मकान में प्रवेश किया, इसलिए इनकी घटना, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी व दो व्यक्तियों को तुच्छ चोटें व दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे, में लिप्तता को देखते हुए सजा के मामले में इनके साथ नरमी का रूख अपनाए जाने की कोई गुंजाईश नहीं है।

16. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात हमारा यह दृढविश्वास/यकीन है कि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क अनुरूप इस प्रकरण में सजा को कम किए जाने की कोई गुंजाईश नहीं है, जहां तक एकल चाकू के उपयाग बाबत् दिए गए तर्क का संबंध है, जैसाकि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सही ध्यान दिलवाया कि यह एक ऐसा प्रकरण है, जिसमें अभियुक्त को घटनास्थल पर ही पकड लिया गया था व उसी वक्त घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हो गए थे, इस तथ्य को विवादित नहीं किया जा सकता क्योंकि आहत गवाहान अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 के अलावा अभियुक्तगण का भी दिनांक 27.06.1996 को 4ः35 पी.एम. पर अभियोजन साक्षी संख्या 32 चिकित्सक द्वारा परीक्षण किया गया था। इनके शरीर पर आई चोटें प्रदर्श-पी 39-42 में लेखबद्ध की गयी है, जिन्होंने स्वयं चिकित्सक को बताया कि उन्हें जनता द्वारा पकड़ लिया गया था, यह तथ्य अभियोजन की कहानी के अनुरूप ही है।

17. इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि जब्त सभी चाकू विचारण न्यायालय के समक्ष रखे गए थे व उन पर एम.ओ. 2-5 मार्क अंकित किया गया था। इसके अलावा अभियोजन साक्षी संख्या 10 पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक ने अपने प्रमाण-पत्र प्रदर्श-पी15 में मृतक के शरीर पर एकाधिक चाकू की चोटें आने की पुष्टि की है, जबकि एक चोट उसके गर्दन पर थी, जो अभियुक्त संख्या 1 द्वारा कारित की गयी। मृतका के मार्मिक व अन्य अंगों पर कुल 13 चोटें थी, जो सभी कटे हुए घाव होकर इनका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर □ 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर □ 7 सेंटीमीटर था, इसलिए अपीलार्थी की ओर से दिया गया यह तर्क व्यर्थ है कि मृतका के शरीर पर इतनी चोटें कारित करने हेतु केवल एक चाकू का प्रयोग किया गया।

18. इसके अलावा अभियोजन साक्षी संख्या 8 चिकित्सक, जिसने अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 का चिकित्सकीय परीक्षण कर चोटों को प्रमाणित करते हुए प्रदर्श पी6-पी9 जारी किए, के अनुसार इन्हें चोटें आई थी। प्रदर्श पी6-पी9 से यह दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 का एक गंभीर चोट, अभियोजन साक्षी संख्या 2 के एक कटा हुआ घाव नीलगू के साथ, अभियोजन साक्षी संख्या 3 के दो साधारण चोटें व अभियोजन साक्षी संख्या 4 के कुल छः कटी हुई चोटें थीं, जिसमें से चोट संख्या 1-3 साधारण व चोट संख्या 4-6 गंभीर थी। अभियोजन साक्षी संख्या 4 को आई एक चोट के परिणाम स्वरूप उसके दाएं हाथ की दाई

अंगुली पृथक हो गयी थी। जब इतनी विस्तृत चोटें आहत/प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को आई हो, वहां अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि घटना में केवल एक चाकू ही प्रयुक्त किया गया था। विचारण न्यायालय व साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तर्कों को सही अस्वीकार किया क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा अपराध करने में एकाधिक हथियारों का प्रयोग किए जाने बाबत् अभियोजन की कहानी का समर्थन करने हेतु जबरदस्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी।

19. जब अभियुक्तगण का उपरोक्त तर्क अस्वीकृत हो जाए, तब अन्य तर्क कि धारा 109 व 149 आई.पी.सी. को लागू किए जाने की कोई गुंजाईश नहीं है, अपने आप गिर जाता है, उपरोक्त निष्कर्ष के परिणाम को देखते हुए विचारण न्यायालय के अपीलार्थीगण को विभिन्न अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने व तद्रूप दण्डित करने संबंधी अंतिम निष्कर्ष में कमी ढूंढने की कोई गुंजाईश नहीं है, इसलिए अपीलार्थीगण के तर्क कि प्रकरण में धारा 304 भाग द्वितीय भारतीय दण्ड संहिता को लागू करते हुए अभियुक्तगण पर कम दण्ड अधिरोपित किया जाए, में कोई सार नहीं है। मृतक की हत्या व अभियोजन साक्षी संख्या 1-4 को चोटें कारित करने में अभियुक्तगण द्वारा हथियारों के व्यापक प्रयोग किए जाने संबंधी तथ्यों को देखते हुए हमारी दृष्टि में अभियुक्तगण को दी गयी सजा में रियायत किए जाने की कोई गुंजाईश नहीं है। परिणामतः उपरोक्त तर्क अस्वीकार किए जाते हैं। उपरोक्त निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप हमारी राय में सजा में कमी

किए जाने संबंधी प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को यहां उद्धरित किए जाने की कोई गुंजाईश नहीं है।

20. आपराधिक अपील संख्या 1410/2011 के अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त संख्या ए1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी के द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में हम यह पाते हैं कि हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में राज्य का जवाब उपलब्ध है, जिसके पैरा संख्या IV में यह कहा गया है कि ''उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि याचिकाकर्ता के तर्कानुसार अपराध किए जाने के समय उसकी उम्र 17 साल और 9 माह थी, यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को सही प्रयोज्य करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि अपराध किए जाने के दिन याचिकाकर्ता 17 साल और 9 माह की उम्र प्राप्त कर चुका था, अतः वह अधिनियम, 1986 के उपबंधों अनुसार किशोर नहीं था।''

21. जब एक बार यह दर्शित कर दिया जाए कि आपराधिक अपील संख्या 1410/2011 का अपीलार्थी, जो अभियुक्त संख्या ए1 था, घटना के दिन 17 वर्ष और 9 माह का था तो अजय कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिया गया निर्णय प्रयोज्य होगा, जिसमें समान परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

“6 नियम 98 किशोर न्याय (बालकों की देखभाल व संरक्षण) नियम 2007 (जिन्हें इस आदेश में आगे किशोर न्याय नियम, 2007 के रूप में उल्लेखित किया जाएगा) विधि के विरूद्ध संघर्षरत किशोर के प्रकरणों के निर्णय हेतु प्रक्रिया उपबंधित करता है, जो इस प्रकार है:-

”98 विधि के विरूद्ध संघर्षरत किशोर के निर्णित प्रकरण - विधि का उल्लंघन करने वाले उस किशोर की तुरंत रिहाई के लिए, जिसके निरोध या कारावास की अवधि उक्त अधिनियम की धारा 15 में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा हो गई है, यथास्थिति राज्य सरकार या बोर्ड या तो स्वप्रेरणा से या इस प्रयोजनार्थ किए गए आवेदन पर विधि का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति या किशोर के मामले का पुनर्विलोकन, इस अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों के नियम 12 के उपबंधों के अनुसार उसकी किशोरावस्था का निर्धारण कर सकेगा तथा इस अधिनियम की धारा 64 के अधीन विधि का उललंघन करने वाले किशोर के हित में समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

“7 उपरोक्त उपबंधों के प्रकाश में एक किशोर को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह में रखा जा सकता

है। इस प्रकरण में हमें यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी, जो किशोर साबित हो चुका है, ने लगभग चौदह वर्ष की अवधि निरोध में व्यतीत कर ली है। मामले के इस तथ्य को देखते हुए अपीलार्थी अपराध की घटना के समय अव्यस्क था व उसने धारा 15 सपठित नियम 98 किशोर न्याय नियम, 2007 में उपबंधित अधिकतम अवधि से भी ज्यादा अवधि का निरोध भुगत लिया है। हम अपील इस निर्देश के साथ स्वीकार करते हैं कि अपीलार्थी को तुरंत रिहा किया जाए''

22. उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए इस निर्णय के परिणाम अपीलार्थी की क्रिमिनल अपील संख्या 1410/2011 में लागू होंगे, जिसने किशोर न्याय अधिनियम में प्रदत्त निरोध की अधिकतम अवधि से ज्यादा अवधि निरोध में व्यतीत की है। यह अपीलार्थी इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2011 से जमानत पर रिहा किया गया था, इसलिए अपील में आक्षेपित निर्णय के अनुसार उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि वह किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों का लाभ प्राप्त करने का हकदार है व उसके द्वारा अब तक भुगती गयी सजा उसकी दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है, इसलिए उसे इस प्रकरण में अब ओर निरूद्ध नहीं किया जाए, जब तक कि उसका निरोध किसी अन्य प्रकरण में

अपेक्षित नहीं हो। आपराधिक अपील संख्या 1410/2011 इन्हीं दशाओं पर निर्धारित की जाती है।

23. अन्य अपीलार्थी अभियुक्त संख्या ए 4 द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील 567/2012 व अपिलार्थी अभियुक्त ए 2 व ए 3 द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या 568/2012 एतद्द्वारा अस्वीकार की जाती है।

अपीले निर्णित की गयी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।